Agents dealing with defence supplies

1367. SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI :
DR. MURLI MANOHAR JOSHI :
Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that defence purchases through Government had been banned some years ago; if so, what is the precise policy in this regard; and

(b) whether it is also a fact that a large number of agents, dealing with defence supplies are still operating in India; if so, what are the names of such agents still dealing with Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN) : (a) and (b) The Government Policy, guidelines on 'Indian Agents of Foreign Defence Suppliers', clearly stipulate that the involvement of agents in the induction and the acquisition of weapons and weapon systems is completely banned. As regards, defence stores other than weapons and weapon systems the guidelines also prescribe the manner in which the role of agents, if any, is to be regulated. These policy guidelines are being followed strictly.

भारत द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के मार्ग में पश्चिमी देशों द्वारा अड़चने डाला जाना

1368. **श्री राम गोपाल यादव :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्रों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के भारत के प्रयासों में पश्चिमी देश अड़चने डाल रहे हैं, जिससे भारत की लड़ाकू विमानों के निर्माण संबंधी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने और कौन-कौन से देश हैं और क्या सरकार ने इस संबंध में इन देशों से कोई बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इन बाधाओं को दूर करने, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हासिल करने और लड़ाकू विमानों का निर्माण करने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और लड़ाकू विमान देश में कब तक तैयार किए जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सात राष्ट्रों अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंग्डम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ने मिसाइल टैक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम (एम टी सी आर) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अंतर्गत 300 कि० मी० या उससे अधिक दूरी तक 500 कि० ग्रा० भार ले जाने वाले प्रक्षेपास्त्र विकसित करने वाले देशों पर कुछ निर्यात प्रतिबंध लगाए गए हैं। तथापि, इन प्रतिबंधों से हल्के लड़ाकू वायुयान कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। हल्के लड़ाकू वायुयान कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के बीच विचार विनियम हुआ है और एक समझौते पर 1987 में हस्ताक्षर किए गए।

(ग) और (घ) भारत अमरीकी सहयोग-कार्यक्रम में प्रयोगशाला-दर-प्रयोगशाला अन्तः संबंध स्थापित करने और उन्नत वैमानिक तकनालॉजियों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इस समझौते के अंतर्गत हल्के लड़ाकू वायुयान कार्यक्रम के लिए आवश्यक मदों की सीधी वाणिज्यिक बिक्री की जा सकती है। देश में ही निर्मित हल्के लड़ाकू प्रदर्शक वायुयान की पहली उड़ान जून, 1996 में किए जाने की आशा है। हल्के लड़ाकू वायुयान सेनाओं को दिए जाने के लिए उनका निर्माण, वर्ष 2003 में किए जाने की संभावना है।